फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

पन्ना बनाम जयकिशन

रस्म मुकदमा प्रा-पत्र 111-120 नं0 105 सन 2020

क	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
8-20	**पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।** 25-8-20	
5/20	उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15.9.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
-20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा०प० की गई अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 11:14:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

ुकदमा संख्या – 105/20 प्रा.पत्र

श्री पन्ना s/o श्री नन्दा गाडरी निवासी कारोईराम जी की खेड़ी तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री जयकिशन s/o श्री रूपा गाडरी निवासी कारोईराम जी की खेड़ी तहसील माण्डल

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 15.09.20

::आदेश::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन या कि ग्राम कारोईराम जी की खेड़ी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके ते /संयुक्त खाते की आराजी न. 1134/1102 कुल किता 01 रकबा 0.2 ग्रा — बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुलदायिवा के सीमा चिन्ह ीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.07.20 को पंजीबद्व किया जाकर रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की ा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को रखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कारोईराम खेड़ी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की राजी नं. 1134/1102 कुल किता 01 रकबा 0.2 वा --- बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये ने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलमास 410/– पये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये खते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की ावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 11:14:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner